न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 299/2023

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
नूर मोहम्मद पुत्र खीलण खॉ जाति मुसलमान, निवासी– लखमणों की बस्ती, तहसील सम जिला जैसलमेर।		1. तहसीलदार जैसलमेर जिला जैसलमेर।

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 15.09.1977 जो जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा प्रकरण संख्या 132/1977 अनवान सरकार बनाम नूर मोहम्मद में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री सोनाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.सं. एक की ओर से।

निर्णय

दिनांक 18 जून, 2024

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के द्वारा अपने को भूमिहीन होना बताते हुए कृषि प्रयोजनार्थ भू राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970) के तहत एक आवेदन पत्र कार्यालय तहसीलदार जैसलमेर के समक्ष प्रस्तुत करते हुए ख0सं0 43, रकबा 75 बीघा राजस्व ग्राम लखमणों की बस्ती तहसील व जिला जैसलमेर आवंटन हेतु निवेदन किया जिस पर सक्षम अधिकारी के द्वारा तमाम विधिक औपचारिकताए व जॉच रिपोर्ट तलब किये जाने के पश्चात दिनांक 15.06.1972 को आवंटन कमेटी/सलाहकार समिति के द्वारा उक्त खसरे की रकबा भूमि का आवंटन अपीलान्ट को कर दिया गया। जिसके अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जा चुका था और उसी अनुसार अपीलान्ट आज दिन तक मोके पर बाडाबन्दी कर कृषि कार्य करता आ रहा है और आजीविका का निर्वहन कर रहा है। उक्त समय में अपीलार्थी एक भूमिहीन किसान था जिसके आधार पर ही आवंटन सलाहकार समिमि के

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

द्वारा भूमि आवंटित की गई थी। तत्पश्चात अपीलार्थी द्वारा उक्त आवंटित भूमि को विकसित कर अपना आवासीय मकान भी निर्मित कर चुका और परिवार सहित रह रहा है।

जिलाधीश जैसलमेर के द्वारा दिनांक 15.09.1977 ने उक्त आवंटन आदेश को निरस्त करने का निर्णय पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील दिनांक 27.11.2023 को न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत पेश प्रार्थना पत्र में यह कथन किया कि प्रार्थीगण/अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश पारित होने की जानकारी कतई पूर्व में नहीं हुई थी और न ही इसके सम्बन्ध में प्रार्थी का कभी अवगत कराया गया था कि ऐसा कोई आदेश जारी हो चुका है। प्रार्थी अनपढ किसान व ग्रामीण तबके का है जिसे मियाद के कानून के बारे में अनभिज्ञता रही है। ऐसी स्थिति में किसी भी रूप में उपरोक्त आदेश की जानकारी पूर्व में नहीं थी और वर्तमान समय में प्रार्थी को जानकारी होते ही प्रार्थी के द्वारा मौजूदा अपील बिना किसी देरी के प्रस्तुत की जा रही है। कानूनी प्रक्रिया न्याय दिलाने में साधक है, कतई बाधक नहीं है तथा विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर किसी भी पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है। मौजूदा प्रकरण के माध्यम से अपीलान्ट की सम्पति के महत्वपूर्ण अधिकारों का विनिश्चिय किया जाना है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को सहानुभूति रखते हुए माफ किया जावे तथा अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाकर गुणावगुण पर निर्णित की जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को मिथ्या एवं गलत बताते हुए प्रार्थना पत्र को को स्वीकार करने बाबत विरोध प्रकट किया।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश को केवल मात्र इस रिपोर्ट के आधार पर पारित कर दिया कि अपीलार्थी बाबत विश्वसनीय सुत्रों के पता लगा कि वह पाकिस्तान चला गया है। उपरोक्त सूचना हुसैन नामक व्यक्ति के द्वारा दी गई एवं उसी अनुसार बचल खॉ, वार्ड पंच, सगरों की बस्ती के द्वारा पुष्टि किये जाने का पृष्ठांकन करते हुए दिनांक 22.7.1975 को आवंटन निरस्त किये जाने बाबत नायब तहसीलदार, सम के द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई जबकि अपीलार्थी के ग्राम का कोई व्यक्ति हुसैनव बचल खॉ निवासी नहीं है, दोनों हीं अलग गांव के निवासी है, मात्र दिखावटी तरीके से रिपोर्ट बनाकर

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

पेश कर दी गई। इसके अतिरिक्त ना0 तहसीलदार सम के द्वारा कौनसा नोटिस, किस तारीख को प्रेषित किया गया, किसके द्वारा शिकायत की गई और किस प्रकार जानकारी हुई जिसके बाबत किसी भी प्रकार का अंकन रिपोर्ट में नहीं किया गया है, इन तमाम तथ्यों पर प्रश्नवाचक चिन्ह स्थापित करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है जो निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में किस प्रकार से प्रकरण संस्थित किया गया, ऐसा किसी प्रकार का अंकन आदेशिकाओं अथवा नोटशीट में नहीं है, केवल मात्र बनावटी शिकायत के आधार पर ना0 तहसीलदार की ओर से रिपोर्ट उच्चाधिकारी को प्रेषित कर दी गई और उसी रिपोर्ट को सत्य मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया हो जो कार्यवाही प्रारम्भ से शून्य कार्यवाही है, रिपोर्ट के संलग्न किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया। अपीलार्थी कभी भी पाकिस्तान नहीं गया और तारीख आवंटन से आज दिन तक उपरोक्त पते पर स्थाई रूप से निवास करता चला आ रहा है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी के द्वारा इसी भूमि बाबत राज0 स्टेट कॉ–आपरेटिव बैक, जैसलमेर द्वारा दिनांक 11.5.1987 को अपीलार्थी को नोटिस प्रेषित कर बकाया राशि की मांग की गई है जिस पर अपीलान्ट ने उक्त राशि बैंक में जमा करवाई है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट उक्त दिनांक को ग्राम में निवासरत रहा है। इसके अतिरिक्त मार्च, 1970 में भी ऋण प्राप्त किया गया और अदायगी भी गई है जिस बाबत प्रमात्र पत्र भी जारी हो रखे हैं। ऐसे में अपीलान्ट किस प्रकार पाकिस्तान जा सकता है, उपरोक्त तमाम तथ्यों पर तथ्या पब्लिक दस्तावेजों पर प्रश्नवाचक चिन्ह स्थापित करते हुए झूठी सूचना के आधार पर अपीलान्ट को भूमि आवंटन निरस्त कर दिया जो हर तरीके से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को आवंटन भूमि के आदेश को निरस्त करने से पूर्व किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है जो प्राकृतिक व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के लिये आवश्यक था। ऐसे में उपरोक्त आदेश का किसी भी प्रकार से प्रभाव व कियान्वयन नहीं होने से निरस्त किया जावे एवं अपीलान्ट को भूमि आवंटन आदेश को बहाल किया जावें। अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में निर्णय नजीरे अवलोकनार्थ पेश की गई यथा 2013 (16) एससीसी 771, 1987 एआईआर एससी पेज 1353, 1999 (17) एससी पेज 12, 1998 एआईआर एससी पेज 3222 इत्यादि।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व अपील के संलग्न प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र को निर्णित करना आवश्यक व उचित है।

हमने मियाद प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों एवं अपीलान्ट अधिवक्ता एवं रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया एवं उपलब्ध दस्तावेजों इत्यादि का अवलोकन किया। अपीलान्ट/प्रार्थी के अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत धारा 05 मियाद अधिनियम के उक्त प्राथना पत्र में अपीलाधीन आदेश की जानकारी इससे पूर्व नहीं हो पाने का कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया है और ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है जिससे उनके कथनों की पुष्टि होती हो यानि कि उन्हें पूर्व में अपीलाधीन आदेश की जानकारी वर्ष 1977 से अपील पेश करने तक नहीं हुई हो। ऐसे में अपीलान्ट/प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत मियान प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं हो सकता।

इसके अतिरिक्त अपीलान्ट को वर्ष 1977 आवंटन निरस्त होने से आज दिनांक तक राजस्व रेकर्ड अथवा जमाबन्दी में भूमि किसके नाम दर्ज चली आ रही है, इसकी जानकारी नहीं होना मानने योग्य नहीं हो सकता है जबकि प्रत्येक वर्ष कृषि भूमि पर कार्य करने, फसल बोने एवं कर निर्धारण होता रहता है तथा राजस्व रेकर्ड का अपडेशन होता रहता है। अपीलान्ट प्रार्थी के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा काश्त होने सम्बन्धी भी कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये है जिससे वर्तमान में भी उनका कब्जा काश्त निरन्तर किया जाना अथवा होना प्रकट होता हो। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को तत्समय में हुए भूमि आवंटन आदेश को इस आधार पर निरस्त किया गया है कि वो उस समय ही पाकिस्तान चले गये, इस बाबत भी अपीलार्थी के द्वारा वर्तमान समय में भी अपीलान्ट (आवंन्टी) वही व्यक्ति होने एवं वर्तमान में भी भारत का नागरिक होने सम्बन्धी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशनकार्ड, पेन कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र, किसान होने बाबत प्रमाण पत्र इत्यादि पेश नहीं किये है। ऐसे में उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की ओर से पेश अपील को मियाद बाहर पेश होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर पेश होने से तथा आधारहीन व सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 18 जून, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर